प्रेस नोट दिनांक-22.10.2020

(1). पुलिस अधीक्षक श्री अंकित मित्तल जनपद चित्रकूट द्वारा आज दिनांक 22.10.2020 को कोतवाली कर्वी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गयेः-

(1). महोदय द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु थाना पर कार्यशील महिला हेल्पडेस्क का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्रेश दिये गये।

(2). महोदय द्वारा कोविड हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर आगन्तुकगणों के रजिस्टर के विवरण को चेक किया गया।

(2). कोतवाली कर्वी का भ्रमण कर बैरिक, भोजनालय, आवासीय कालोनी, शौचालय का निरीक्षण कर उचित साफ-सफाई बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया तथा

(3). थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया एवं देखा गया कि कैमरे कार्यशील हैं अथवा नहीं।

(4). सीसीटीएनएस कार्यालय का निरीक्षण कर सीसीटीएनएस में नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये एवं रजिस्टरों को कम्प्यूटर में फीड कर अद्यावधिक करने हेतु निर्देशित किया गया।

(5). थाना कार्यालय में उपलब्ध समस्त रजिस्टरों का अवलोकन कर निरीक्षण किया गया एवं अद्यावधिक रखने हेतु निर्दशित किया साथ ही रजिस्टरों में सुधार हेतु प्रभारी निरीक्षक एवं हेड मुहर्रिर को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(7). लावारिस एवं मुकदमों से सम्बन्धित वाहनों तथा मुकदमों से सम्बन्धित मालों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अरूण पाठक, पीआरओ0 श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल महोदय द्वारा दिनाँक 21.10.2020 की रात्रि में थाना राजापुर एवं थाना पहाड़ी के विवेचकों का थाना राजापुर/पहाड़ी में अर्दली रुम किया गया।

महोदय द्वारा अर्दली रूम में विवेचनाओं की समीक्षा की गयी एवं विवेचकों से विवेचना की प्रगति के बारे में जानकारी ली तथा उनके शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा वर्ष 2019 एवं 06 माह से अधिक समय से लम्बित विवेचाओं को लम्बित रखने का कारण पूछते हुये शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। सभी विवेचकों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय पर विवेचाओं का निस्तारण करें अन्यथा कार्यवाही हेतु तैयार रहें ।

चिन्हित किये गये मुकदमों की पैरवी करने हेतु मुकदमों की जानकारी न होने पर थाना राजापुर/पहाड़ी के विवेचकों से स्पष्टीकरण मांगा गया।

वांछित की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया। इस अर्दली रुम के दौरान हल्का प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि हल्का के टॉप-10, मफरुर, हिस्ट्रीसीटर, गैंगेस्टर,

अभयस्त एवं सक्रीय अपराधियों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी रखें तथा उनके क्रिया कलापों पर भी कड़ी नजर रखें।

उच्चाधिकारियों एवं आईजीआरएस से प्राप्त लम्बित प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल महोदय द्वारा दिनाँक 21.10.2020 की रात्रि में थाना राजापुर एवं थाना पहाड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया। महोदय द्वारा मिशन शक्ति के तहत थाना में स्थापित किये जा रहे महिला हेल्प डेस्क का लोकार्पण दिनाँक-23.10.2020 को किया जाएगा जिसकी पूर्ण रूरप से तैयारी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर एवं थाना पहाड़ी को निर्देश दिये। थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया। महिला हेल्प डेस्क में सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु निर्देशित किया गया। थानों में नियुक्त उपनिरीक्षकगणों/प्रभारी एण्टी रोमियो टीम को मिशन शक्ति के तहत प्रभावी कार्य कर अभियान को सफल बनाने हेतु निर्देश दिये। महिला हेल्प डेस्क में नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

अर्दली रुम के दौरान प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री अनिल सिंह व प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्रवण सिंह व वाचक श्री शिवबदन सिंह एवं श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी पीआरओ0 तथा थाना राजापुर/पहाडी के विवेचकगण उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्दशन में पीआरवी 2041 द्वारा कालर कृष्ण कुमार(मो0नं0-9569803896) द्वारा सूचना प्राप्त हुयी की एक लावारिस बालक उम्र लगभग 10 वर्ष शिवमरामपुर में चाय की दुकान पर बैठा हुआ है। इस सूचना पर पीआरवी-2041 कोतवाली कर्वी द्वारा तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को एक बालक उम्र लगभग 10 साल का लड़का कस्बा शिवरामपुर में एक चाय की दुकान पर मिला। लड़का गूंगा है बोल नही पाता है, लड़के के हाथ में काली देवी मंदिर सीतापुर गुदा था और शोभित लिखा था।

पीआरवी कर्मी तत्काल लड़के को लेकर उसके हांथ पर लिखे पते पर पहुंचे। और आसपास पूछा गया तो लोगो ने बताया कि रामनरेश रैदास का लड़का है। पीआरवी कर्मी द्वारा तत्काल लड़के को रामनरेश रैदान उपरोक्त के घर ले गये और लड़के को उसकी भाभी संगीता और बडी अम्मा बतसिया को तस्दीक करने उपरान्त लड़के को सकुशल सुपुर्द किया गया।

<u>पीआरवी स्टाफ</u>

1. हे0का0 मलखान सिंह
2. आरक्षी वीरेन्द्र कुमार
3. आरक्षी चालक राजेश यादव

(4). पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुनील कुमार पटेल पुत्र सुरेश कुमार निवासी तौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट से 15

लीटर कच्ची महुआ निर्मित शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव थाना पहाड़ी

2. आरक्षी दिनेश कुमार यादव

(5). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए 06 माह का महाअभियान मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनाँक-22.10.2020 को श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर के नेतृत्व में तुलसी इण्टर कॉलेज एं राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज की छात्राओं द्वारा कस्बा राजापुर में जागरूकता रैली निकाली गयी, श्री के0के0 मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर की अध्यक्षता में थाना परिसर में जागरूकता गोष्ठी, श्री अजय जयसवाल प्रभारी चौकी गनीवा की अध्यक्षता में पं0 दीनदयाल शोध संस्थान में महिला जागरूकता गोष्ठी, थाना भरतकूप पुलिस द्वारा अकबरपुर व रसिन में जागरूकता गोष्ठी, थाना बरगढ़ पुलिस द्वारा राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज में जागरूकता गोष्ठी की एवं एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न स्कूलों/ग्रामों में महिला जागरूकता गोष्ठी कर महिलाओं/बालिकाओं को वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया । महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों से अवगत कराया गया । जागरूकता गोष्ठी में सभी से उनकी समस्याओं के बारें में पूछा गया ।